मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 20.03.2026

थाना को0देहात पुलिस द्वारा फर्जी कम्पनी बनाकर कूटरचित दस्तावेज के आधार पर GST की चोरी/धोखाधड़ी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार—

थाना को0देहात, जनपद मीरजापुर पर दिनांक 22.12.2025 को वादी कनक तिवारी (उपायुक्त) द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध फर्जी कम्पनी बनाकर कूटरचित दस्तावेज के आधार पर GST की चोरी/धोखाधड़ी करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गयी । उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0देहात पर 02 अभियोग मु0अ0सं0-552/2025 व मु0अ0सं0- 553/2025 धारा 420,467,468 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी ।

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा उक्त प्रकरण को गंभीरता पूर्वक लेते हुए संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक को0देहात को निर्देश दिए गये । उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0देहात पर पंजीकृत अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांकः 20.03.2026 को उप-निरीक्षक राम प्रताप यादव मय पुलिस टीम द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर थाना को0देहात क्षेत्र से अभियोग से सम्बधित 02 वांछित अभियुक्त 1. यज्ञवासिनी सिंह पुत्र स्व0 वंशनारायण सिंह व 2. स्वतेज सिंह उर्फ राज पुत्र यज्ञवासिनी सिंह निवासीगण सुलेखापुरम, बथुआ थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर (स्थायी पता- ग्राम छेछूआ थाना कोईरौना जनपद भदोही) को अंतर्गत धारा 420,467,468 भादवि व 132 उ.प्र. राज्य कर अधिनियम में गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा गया ।